21.01.25

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का०आ०सं० :– 2/अ०प्र०–2–201/2019(Recast) 02 /पटना, दिनांक :– 1-1-25

श्री अनिल कुमार झा, तदेन लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, नवादा में पदस्थापन के दौरान निलंबित होने के उपरान्त रोकड़पाल एवं अन्य का प्रभार नहीं सौंपने संबंधी मामले में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा के स्तर से गठित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के आलोक में श्री झा से विभागीय पत्रांक 2159 अनु0 दिनांक 29.07.2024 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग गयी।

2. श्री झा को विभागीय कार्यालय आदेश सं0–67 सह–पठित ज्ञापांक 2634 दिनांक 04.09.2019 द्वारा कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी/फुलपरास/बेनीपुर/दरभंगा–2 में पदस्थापन के दौरान किये गये अनियमितता के लिए निलंबित किया गया था। निलंबन के उपरान्त कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा के कार्यालय आदेश ज्ञापांक 1162 दिनांक 12.09.2019 द्वारा रोकड़पाल एवं अन्य से संबंधित संपूर्ण प्रभार सौंपने हेतु निदेश दिया गया।

3. श्री झा द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक 13.08.2024 समर्पित किया गया। स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया कि उन्हें विभागीय कार्यालय आदेश सं0–67 दिनांक 04.09.2019 द्वारा निलंबित किया गया था, जिसके उपरान्त उन्हें दिनांक 10.09.2019 को शाम में मोबाईल से सूचना प्राप्त हुई कि उनके माँ की तबियत खराब है। उनके द्वारा मोबाईल से कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा से सम्पर्क कर सूचित करना चाहा कि उन्हें घर जाना अतिआवश्यक है, परन्तु अनेकों बार फोन करने पर उनके द्वारा मोबाईल रिसीव नहीं किया गया। कार्यपालक अभियंता के आवास पर जाकर उनके द्वारा सूचना देनी चाही परन्तु आवास पर ताला लगा हुआ था। अंततः वे अवकाश का आवेदन कम्प्यूटर ऑपरेटर को देकर घर चले गये। घर पहुँचने पर उनकी भी तबियत बिगड़ गई तथा डॉक्टर की सलाह पर उन्हें 15 दिनों का बेड रेस्ट में रहना पड़ा। इसी बीच कार्य प्रमंडल, नवादा से उनके कम्प्यूटर ऑपरेटर के Whatsapp द्वारा उन्हें विरमित आदेश प्राप्त हुआ तथा प्रभार सौंपने का निदेश दिया गया। उनके द्वारा तुरंत मौखिक रूप से बीमार होने की सूचना कार्यालय को दी तथा कार्यपालक अभियंता के सरकारी मोबाईल पर कॉल किया परन्तु उनका कॉल रिसीव नहीं किया गया और न ही बाद में कॉल का प्रत्युत्तर ही प्राप्त हुआ। जब वे दिनांक 04.10.2019 को प्रभार सौंपने हेतु प्रमंडल कार्यालय, नवादा पहुँचे तो ज्ञात हुआ कि रोकड़ कक्ष का ताला बदल चुका है, जिसकी चाभी कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, नवादा के पास है। ऐसी परिस्थिति में वे बिना चाभी के रोकड़ शाखा का प्रभार सौंपने में असमर्थ हो गये और वापस लौट गये, जिसकी सूचना उनके द्वारा प्रमंडल कार्यालय नवादा के मेल पर दिनांक 04.10.2019 को दिया गया था। इस प्रकार प्रभार नहीं सौंपने में उनकी कोई अन्यथा मंशा नहीं थी। श्री झा द्वारा प्रभार सौंपने में परिस्थितिजन्य कारणों से आंशिक विलम्ब होने का उल्लेख करते हुए आरोप से मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

4. श्री झा के स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी और समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री झा विभागीय कार्यालय आदेश सं0–67–सह–पठित ज्ञापाक–2634 दिनांक 04.09.2019 द्वारा निलंबित

होने के उपरांत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा के कार्यालय आदेश ज्ञापाक–1162 दिनांक 12.09.2019 द्वारा उन्हे रोकड़पाल एवं अन्य से संबंधित सम्पूर्ण प्रभार पत्र निर्गत की तिथि से 2 दिनों के अंदर सौंपने का निदेश दिया गया था, किन्तु उनके द्वारा आदेश का अनुपालन ससमय नहीं किया गया। श्री झा द्वारा प्रभार सौंपने में हुए विलंब के जिस कारणों का उल्लेख किया गया है, के संदर्भ में स्पष्टीकरण के साथ कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है।

5. उक्त के आलोक में श्री झा के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 (v) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

अतः श्री अनिल कुमार झा, तदेन लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा सम्प्रति वरीय लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, फारबिसगंज को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 (v) के तहत निम्न शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है:–

(i) **असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक।**

30/12/24

(श्रीप्रकाश)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–2–201/2019(Recast) 18 /पटना, दिनांक :– 1-1-25

प्रतिलिपि :–जिला कोषागार पदाधिकारी, नवादा/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

30/12/24

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–2–201/2019(Recast) 18 /पटना, दिनांक :– 1-1-25

प्रतिलिपि :–अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के निजी सहायक/अभियंता प्रमुख–सह–अपर–आयुक्त–सह–विशेष सचिव के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के निजी सहायक/मुख्य अभियंता–2/4, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया/किशनगंज/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा/फारबिसगंज/प्रशाखा पदाधिकारी–8, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई0टी0 मैनेजर/श्री अनिल कुमार झा, तदेन लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा सम्प्रति वरीय लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, फारबिसगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

30/12/24

अभियंता प्रमुख